कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अ0) बूंदी

संख्या : 109 दिनांक:05/10/2017

–: आदेश :–

निबन्धक महोदय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र कमांकः राम/भू0अ0/ ई–3/परीक्षा/प–279/2017/10323–355 दिनांक 03.10.2017 के निर्देशानुसार इस जिले में सीधी भर्ती पटवार परीक्षा 2015 में पटवार प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चयनित निम्नांकित आशार्थियो को राजस्थान लेण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 4 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिये निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु " पटवारी " के पद पर नियुक्त किया जाता है :

1. यह नियुक्ति राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्ड) रूल्स 1957 के नियम 4 एंव तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशो/परिपत्रो के अन्तर्गत शासित होगी एंव समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होगें।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरो पर संदत्त किया जाएगा एवं अन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमो के अन्तर्गत संदत्त होगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते/बोनस देय नही होगें।
3. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाऐं नियमित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नही होता है तो उसकी सेवाऐं नियमित नही की जायेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पशिक्षणार्थियों को इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाऐं अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धन राशि 91000/– राज्य सरकार को लौटानी होगी।
5. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांकः प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांकः 30.6.2006 के अनुसार विवाह के सबंध में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र / प्रपत्र–6 में शपथ पत्र तथा विवाहित होने की स्थिति में कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति कमांकः एफ.7(1)डीओपी/क–2/95 दिनांक 20.6.2001 एवं समसख्यक दिनांक 13.08.04 के कम में संतान सम्बन्धी घोषणा पत्र एवं उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा ।
6. धूम्रपान/तम्बाकू सेवन नही करने का शपथ पत्र राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा ।
7. उपस्थिति के साथ राज्य सेवा में स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट (योग्य) होने सक्षम अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो निवासित जिले के सी.एम. एण्ड एच.ओ. अथवा पी.एम.ओ. के हस्ताक्षर से जारी किया हुआ हो ।
8. इन्है उपस्थिति के समय कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. चिकित्सा भत्ता देय नही होगा एवं राज्य बीमा/जीपीएफ की कटौती नही की जावेगी तथा अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी।
10. परिवीक्षा काल में इन्है एक कलेण्डर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश देय होगें।